

वाद्रपत्र/प्रार्थनापत्र बाद जाँच पेश हुआ, मुकद्मा दर्ज
रजिस्टर किया जाकर वाद्रपत्र / प्रार्थना पत्र की नकलें
प्रतिवादीगण/अप्रार्थी को जरियें सम्भन मार्फत तहसील
वास्ते तामील व जवाब पेश किये जाने हेतु भेजी जावें।
पत्रापली दिनांक को पेश हो।

155
18

4/6/18

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

Handwritten text in Hindi, likely a petition or application, containing names and details of the case. The text is written in blue ink and is somewhat difficult to read due to its cursive style and overlapping lines.

Handwritten signature or initials.

वर्ना

गंगाराय

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक क्लेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)
 पीठासीन अधिकारी : श्री के. आर. धारव, P.A.S.
 प्रकरण संख्या 167/2018
 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956
 उनवान

राजस्व लोक अदालत अभियान
 "न्याय आपके द्वार-2018"

दस्तावेज नंबर 566/103

निवासी 566/103
 बनाव

- प्रार्थी / प्रार्थीगण

दस्तावेज नंबर 566/103

निवासी 566/103

- विपक्षी / विपक्षीगण

उपस्थित :-

श्री दीपक पांडे
 बनाव
 निर्णय

दिनांक 4/6/18

प्रार्थी/प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1958 के तहत विपक्षी/विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :- प्रार्थी/प्रार्थीगण के ग्राम शाहपुरा/ जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 566/103, 1037, 1038, 1039, 1100, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108

कुल किता 11 रकबा 3.05 हैक्टर का प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षी/विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी/विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी/विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अनिभाषक प्रार्थी/प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जनाबन्दी ग्राम 566/103 संवत् 2012 से 2015 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा 566/103 में स्थित प्रार्थी/प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदार/संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता 11 रकबा 3.05 हैक्टर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा/ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 600/- रुपये कायम किये जाते हैं जो प्रार्थी/प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा/ 600/- मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तहसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 4/6/18 को सरे इजलास सुनाया गया।



के. आर. धारव
 उपखण्ड अधिकारी ए
 सहायक कलेक्टर

प्रतिलिपि:- तहसीलदार, शाहपुरा/ पास भेजकर लेख है कि पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।